



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक – 18 जुलाई, 2025

थाना सिकन्द्राबाद

02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 2000/- के रुपये नकद, 02 अवैध चाकू व चोरी किया गया

सामान बरामदा

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 18.07.2025 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर 02 शातिर चोरो को 2000/- रुपये नकद, 02 अवैध चाकू व चोरी किये गये सामान सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 694/25 धारा 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. दीपक शर्मा उर्फ दीपू पुत्र संजय शर्मा निवासी मौ० खत्रीवाडा हनुमान मन्दिर के पास थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।
2. बन्टी पुत्र ताराचन्द निवासी छसियावाडा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरण:-

1. 2000/- रुपये नकद
2. 02 अवैध चाकू
3. **चोरी किया सामान-** बिजली फीटिंग का सामान, 01 पतीली, 01 परात, 02 थाली (सभी पीतल की)

गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर हैं। जिनके द्वारा दिनांक 02-07-2025 थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम प्राणगढ में 03 मकानों में चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-661/25 धारा 305ए, 317(2) बीएनएस पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक शर्मा उर्फ दीपू का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 694/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मु०अ०सं० 661/2025 धारा 305ए बीएनएस आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. मु०अ०सं० 139/2024 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. मु०अ०सं० 427/2022 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
5. मु०अ०सं० 428/2022 धारा 414 भादवि थाना थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
6. मु०अ०सं० 429/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
7. मु०अ०सं० 765/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
8. मु०अ०सं० 884/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
9. मु०अ०सं० 1344/2018 धारा 393/427 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
10. मु०अ०सं० 1345/2018 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त बन्टी का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 694/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मु०अ०सं० 661/2025 धारा 305ए बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. मु०अ०सं० 56/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. मु०अ०सं० 334/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री अनिल कुमार शाही प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद
2. उ०नि० विपुल कुमार, उ०नि० नीरज शर्मा, उ०नि० वसीम अहमद
3. है०का० भूपेन्द्र कुन्डू, का० मोहित देवल



मीडिया सेल बुलंदशहर।